



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 249/2019

1. रवीन्द्रनाथ पिता स्वर्गीय झिटकूराम उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम सोनाबल तहसील कोंडागांव, पुलिस थाना एवं जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़।
2. श्रीमती मंजुलता पति बहादुर उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम सोनाबल तहसील कोंडागांव, पुलिस थाना और जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थीगण

1. श्रीमती रैती/रायती पति संपत राम उम्र लगभग 54 वर्ष, पुत्र स्व झिटकूराम, निवासी छोरे जीराखाल, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़,
2. (हटाया गया) श्रीमती रायमनी @ रायमती माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15-09-2022 के अनुसार]

--- उत्तरवादीगण

अपीलार्थियों के लिए :श्री आर. एस. पटेल और श्री पलाश अग्रवाल अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए :श्री राहिल कोचर, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

बोर्ड पर निर्णय


(10.05.2023)

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी अनुसार,

- 1) वर्तमान अपील, सिविल वाद क्रमांक 36-ए/2013 में विद्वान परिवार न्यायालय, बस्तर जगदलपुर द्वारा पारित दिनांक 30.04.2019 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत वादी-उत्तरवादी क्रमांक 1 रैती/रैयती के पक्ष में झिटकू राम की पुत्री होने का निर्णय पारित किया गया



था। इस आदेश से व्यथित होकर, अन्य विधिक उत्तराधिकारियों ने यह अपील दायर की। इस प्रकरण में शामिल तथ्यात्मक आव्युह और विवाद्यक की विवेचना करने के लिए, हम यहां पक्षकारों के वंशावली वृक्ष को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है:





2) वादी श्रीमती रैती/रायती पति संपत राम ने यह घोषित करने के लिए वाद दायर किया कि वह रायमनी @ रायमती और झिटकूराम के विवाह से पैदा हुई है और वैध संतान है। रायमती का विवाह बुधराम से हुआ था और यह कहा गया था कि विवाह से एक पुत्र संपत पैदा हुआ था। बुधराम की मृत्यु के बाद वादी ने तर्क दिया कि जाति-प्रथा के अनुसार, झिटकूराम जो एक पारिवारिक सदस्य भी था, ने चूड़ी प्रथा के अनुसार रायमती (बुधराम की विधवा) को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उस रिश्ते से रैती/रायती वादी का जन्म हुआ। मूल वाद में झिटकू राम को उत्तरवादी क्रमांक 1 और रायमनी @ रायमती को उत्तरवादी क्रमांक 2 के क्रम में रखा गया था।

3) झिटकू राम ने अपने लिखित कथन में, रीति-रिवाज के अनुसार रायमती के साथ विवाह करने से इनकार किया और वादी रायती के पितृत्व से भी इनकार किया। वादी ने स्वयं और संपत राम से पूछताछ की जबकि झिटकू राम के जीवनकाल में, वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका और अंततः दिनांक 05.12.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, दिनांक 22.07.2016 को झिटकू राम की मृत्यु हो गई, जो दिनांक 11.05.2017 के आदेश से परिलक्षित होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन दायर किया गया था जिसमें वादी को प्रतिवादी बनाया गया था। विचारण न्यायालय के आदेश पत्र से पता चलता है कि बाद में साक्ष्यों को पुनः पूछताछ के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था और उसके बाद प्रकरण का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया गया था।

4) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विवाह का तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है और चूड़ी प्रथा और अनुष्ठान भी सिद्ध नहीं हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह सिद्ध होता है कि कोई विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि झिटकू राम का विवाह सिया बाई से हुआ था और इस विवाह से रविंद्रनाथ और मंजू @ मंजुलता पैदा हुए जो अपीलकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि रायमती का विवाह बुधराम से हुआ था और बुधराम की मृत्यु के बाद रायमती का विवाह झिटकू राम से नहीं हुआ, लेकिन रायती ने बिना किसी साक्ष्य के पितृत्व का दावा किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ऐसे प्रकरणों में किसी भी सबूत के अभाव में पितृत्व और वैधता की घोषणा उत्तरवादी क्रमांक 1 रायती से नहीं की जा सकती है और निर्णय और डिक्री हस्तक्षेप की मांग करती है।

5) इसके विपरीत, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मुख्य रूप से झिटकूराम नामक प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 2, मां रायमनी @ रायमती ने वाद-पत्र के कथनों को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तुतियों के बाद सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जैसे कि स्कूल की अंकसूची पंजी और स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, जिसमें वादी के पिता का नाम झिटकू राम दर्ज था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन दस्तावेजों की



सत्यता का अनुमान लगाया जा सकता है और खंडन में साक्ष्य के अभाव में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। मुख्य विवाद मूल वादी रायती उत्तरवादी क्रमांक 1 अपील में और झिटकू राम प्रतिवादी संख्या 1 के बीच था। वादी ने झिटकू राम और रायमती (उत्तरवादी क्रमांक 2) की पुत्री होने का दावा किया और कहा कि रायमती के पहले पति बुध राम की मृत्यु के बाद, उसका विवाह "चूड़ी" की जाति प्रथा के अनुसार झिटकूराम से हुई थी। वादी के साक्ष्य से यह दावा किया जा सकता है कि उसका जन्म 2 जून, 1954 को हुआ था। इसके समर्थन में, दस्तावेज प्र.पी-10 अभिलेख पर रखा गया है, जो जन्म पंजी प्रतीत होता है, जो दर्शाता है कि 2 जून, 1954 को रायती का जन्म हुआ था और पिता का नाम झिटकू राम कलर दिखाया गया है। वादी ने दावा किया है कि उसने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और 1968 के स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र में प्र.पी.5(सी) अंकित है, जिसमें कु. रायती बाई के पिता झिटकू राम का नाम अंकित है। इसी तरह मिडिल स्कूल द्वारा 1968 में जारी अंक सूची में प्र.पी-6(सी) के विपरीत रायती सेठिया के पिता झिटकू राम सेठिया अंकित है। 1971 के निर्वाचन पंजी में प्र.पी-9 अंकित है, जिसमें रायमती (प्रतिवादी क्रमांक 2) को माता और झिटकूराम को पिता दर्शाया गया है। श्रीमती रायमती (ब.सा.1) के कथन के अवलोकन से पता चलता है कि उनका विवाह वर्ष 1950 में झिटकू राम से हुआ था और चूड़ी की रस्मों के अनुसार उनका विवाह संपन्न हुआ था और बेटी रायती (वादी) के विवाह के समय झिटकू राम द्वारा कन्यादान की रस्में निभाई गई थीं। उसने प्रतिपरीक्षण में आगे कहा कि वादी रायती का जन्म उसके और झिटकू राम के संबंधों से हुआ था और चूंकि उनके यहां केवल एक बच्ची का जन्म हुआ था, इसलिए झिटकू राम ने एक अन्य महिला को उप-पत्नी के रूप में रखा था और उस संबंध से दो बच्चे पैदा हुए, जो यहां अपीलकर्ता हैं। खंडन में अभिलेख पर किसी भी साक्ष्य के अभाव में, जब प्रतिवादी क्रमांक 2 रायमती ने कहा है कि विवाह चूड़ी प्रथा से हुआ था और वे लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, तो अनुमान विवाह के संबंध का होगा।

7) मोहब्बत अली खान बनाम मुहम्मद इब्राहिम खान एआईआर 1929 पी.सी. 135 और एंड्राहेनडिज डिनोहन्मी बनाम डब्ल्यूएल ब्लाहामी एआईआर 1927 पी.सी. 185 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि जब दो व्यक्ति पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं और सहवास करते हैं, तो विधि यह मान लेगी, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे न कि उपपत्नी की स्थिति में। न्यायालय ने आगे कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जब पक्षकार लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं तो विवाह के पक्ष में अनुमान लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव की आगे धनूलाल बनाम गणेश राम (2015) 12 एससीसी 301 में पुष्टि की गई। इसके अलावा, आयोग में जांच की गई रायमती के कथन में



यह दृढ़ रुख था कि वह झिटकू राम के साथ रह रही थी और उसके जीवनकाल में कोई विवाद नहीं हुआ। आयोग के समक्ष 84 वर्ष की आयु में उसकी जांच की गई, जहां आपसी संबंध का खुलासा हुआ। जबकि झिटकू राम ने जीवनकाल में इसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और केवल मां रायमती द्वारा संबंध के बारे में यह कथन दिया गया कि संबंध की जानकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 50 के तहत वैध होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि जब न्यायालय को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में कोई मत बनानी होती है, तो ऐसे संबंध के अस्तित्व के बारे में आचरण द्वारा व्यक्त की गई राय या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई राय, जो परिवार के सदस्य के रूप में या अन्यथा, उस विशेष विषय पर ज्ञान के विशेष साधन रखता है, एक सुसंगत तथ्य है।

8) झिटकू राम के साथ सहवास और वर्ष 1954 में रायमती के जन्म के संबंध में रायमती का कथन अखण्डित है। वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 के कथनों को जब अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे स्कूल की अंकसूची और स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दर्ज नाम जो 1968 और 1971 के हैं, दस्तावेज प्र. पी-5 (सी) और पी-6 (सी) के अनुसार वैध अभिरक्षा से प्रस्तुत किए गए हैं और 30 वर्ष पुराने होने के कारण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार इसके निष्पादन और अवलोकन के बारे में सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, यह संदेह से मुक्त है। खंडन में कोई साक्ष्य नहीं है कि सामग्री प्रमाणित नहीं हुई थी या उचित ढंग से दर्ज नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप विवाह की धारणा और उसके बाद बच्चों की वैधता की धारणा बनाने में कोई दुर्गम बाधा नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 2 की मां रायमती बाई के कथन के अनुसार झिटकू राम की अंतिम सांस तक कोई बाधा नहीं डाली गई। आदेश पत्र में दर्शाया गया है कि झिटकू राम की मृत्यु दिनांक 27.10.2016 को हुई। इसलिए वादी की स्थिति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत संरक्षित किया जाएगा, जिसमें विधिक कल्पना शामिल है। यह काल्पनिक न्यायशास्त्र के नियम के तहत है कि बच्चे, भले ही अवैध हों, फिर भी उन्हें वैध माना जाएगा, भले ही विवाह शून्य या अमान्य हो।

9) प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ साक्ष्य के सामूहिक पठन से, यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी बिना किसी संदेह के पितृत्व और वैधता साबित करने में सक्षम था। इसलिए, हमारा यह विचार है कि विद्वान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, अपील सारहीन है और इसे खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/- (गौतम भादुड़ी) न्यायाधीश		सही/- (संजय कुमार जयसवाल) न्यायाधीश
--------------------------------------	--	---



तटस्थ उद्धरण

2023:सीजीएचसी:13004-डीबी

6

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

